राजकीय महाविद्यालय, हरिपुरधार, जिला सिरमौर, हि०प्र० के छात्र निधि लेखों का लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन।

अवधि 7/6/2011 से 31/3//2016

1 वर्तमान अंकेक्षण:-

(**क)** राजकीय महाविघालय, हरिपुरधार, जिला सिरमौर, हि०प्र० के छात्र निधि लेखों का प्रथम अंकेक्षण अवधि 7.6.2011 से 31.3.2016 तक सर्वश्री राम सिंह चौहान व मनजीत भाटिया, अनुभाग अधिकारियों द्वारा दिनांक 16.3.2017 से 28.3.2017 तक किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय व व्यय के लिए क्रमशः 7/2011, 6/2012, 6/2013, 6/2014, 6/2015 तथा 11/2011, 12/2012, 12/2013, 11/2014 9/2015 मासों का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है। आगामी पैराग्राफों में दर्शाये गये अभिलेख के अतिरिक्त समस्त अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया। **अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान महाविद्यालय में निम्न अधिकारी प्रधानाचार्य व आहरण एवं संवितरण अधिकारी के पद पर तैनात रहे:-**

क्रम सं०	नाम सर्वश्री	अवधि
1	कृष्ण गोपाल	7.6.2011 से 31.3.2012
2	प्रवीण मलिक	1.4.2012 से 4.10.2012
3	प्रमोद चौहान	4.10.2012 से 6.7.2015
4	बलबीर सिंह	6.7.2015 से 31.3.2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

महाविद्यालय के अवधि 7.6.2011 से 31.3.2016 तक छात्र निधि लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	चालान से जमा राशि का राजकीय कोष से मिलान न करना	1.74
2	6	विभिन्न शुल्क विश्वविद्यालय को प्रेषित न करना	0.27
3	7	बिलम्व शुल्क की राशि छात्रों से प्रात न करना	0.09
4	8	कम्प्युटर एवं इंटरनेट निधि की राशि छात्रों से प्रात न करना	0.05
5	10	बिल/वाउचर सत्यापित न करना	0.04

"वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, संस्था द्वारा दी गयी गलत सूचनाओं अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने पर पाई गई अनियमितताओं के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।"

2 लेखा परीक्षा शुल्क:-

राजकीय महाविद्यालय, हरिपुरधार, जिला सिरमौर, हि०प्र० के छात्र निधि लेखों अवधि 7/6/2011 से 31/3/2016 का अंकेक्षण शुल्क ₹28,000 बनता है जिसकी गणना नीचे दी गयी है। अनुभाग अधिकारी (ले०प०) के पत्र संख्या: 2, दिनांक 24.3.2017 द्वारा अंकेक्षण शुल्क को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009 को शीघ्र भेजने हेतु अनुरोध किया गया:-

वर्ष	छात्र निधियों से प्राप्ति (₹)	अंकेक्षण शुल्क (₹)
2011-12	152445	5000
2012-13	150413	5000
2013-14	152740	5000
2014-15	160195	5000
2015-16	211779	8000
	योग	**28000**

3 वित्तीय स्थिति:-

महाविद्यालय के छात्र निधि लेखों अवधि 7/6/2011 से 31/3/2016 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है जिसका छात्र निधिवार विवरण **परिशिष्ट-"क"** पर दिया गया है:-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय	ब्याज	योग	व्यय	अन्त शेष
2011-12	0	152445	1451	153896	98743	55153
2012-13	55153	150413	3456	209022	124993	84029
2013-14	84029	152740	5493	242262	116222	126040
2014-15	126040	160195	6741	292976	129961	163015
2015-16	163015	211779	9131	383925	116987	266938

अतः वित्तीय स्थिति अनुसार दिनांक 31.3.301 6 को विभिन्न निधियों में `2,66,938 का अन्तिम शेष था तथा इतनी ही राशि दिनांक 31.3.201 6 को विभिन्न निधियों की रोकड़ बहियों/बैंक खातों में जमा थी। बैंक में जमा राशियों का विवरण **परिशिष्ट-"ख"** पर दिया गया है । इस प्रकार वित्तीय स्थिति, रोकडबही व बैंक में जमा राशि में कोई अन्तर नहीं है।

4 सावधि जमा/निवेश:- महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत सूचना अनुसार छात्र निधियों से कोई भी राशि सावधि जमा योजना में निवेश नहीं की गयी थी तथा समस्त राशि बचत खातों में ही रखी गयी थी। अतः सुझाव दिया जाता है कि यदि भविष्य में कोई आधिक्य/अनुपयुक्त राशि छात्र निधि खातों में हो तो उसे उचित वित्तीय प्रबंधन को

ध्यान में रखते हुये सावधि खाते में जमा/निवेश किया जाये जिससे कि अधिक ब्याज की प्राप्ति हो सके जिसे छात्रों की विभिन्न गतिविधियों हेतु व्यय किया जा सकता है।

5 **₹1.74 लाख की चालान से जमा राशि का राजकीय कोष से मिलान न करना :-**

अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान प्रवेश शुल्क, पुनः प्रवेश शुल्क, विलम्ब शुल्क, शैक्षणिक शुल्क इत्यादि की छात्रों से प्राप्त ₹1,73,844 को चालान के माध्यम से बैंक ट्रेजरी में जमा किया गया जिसका विवरण **परिशिष्ट–"ग"** पर दिया गया है। परन्तु इन जमा राशियों का मासिक आधार पर राजकीय कोष से मिलान नहीं किया गया था जिससे राशियों की वास्तविक जमा की पुष्टि नहीं होती। अतः बैंक ट्रेजरी में जमा राशियों का राजकीय कोष से मिलान करके सत्यापन करवाया जाये तथा इसकी अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

6 **₹0.27 लाख के विभिन्न शुल्क विश्वविद्यालय को प्रेषित न करना:-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि "विश्वविद्यालय निधि" में दिनांक 31.3.2016 को छात्रों से प्राप्त विश्वविद्यालय पंजीकरण शुल्क, कंटीन्यूशन शुल्क, परीक्षा शुल्क इत्यादि की ₹29,257 जमा थी। इसमें से ₹2,272 की ब्याज राशि को छोड़कर शेष ₹26,985 हि०प्र० विश्वविद्यालय को प्रेषित नहीं की गयी थी जिसका तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाये। अतः इस सम्बन्ध में अविलम्ब अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण को दिखाई जाये।

7 **₹0.09 लाख की बिलम्व शुल्क की राशि छात्रों से प्रात न करना:-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि छात्रों से बिलम्व शुल्क की ₹8,560 प्राप्त नहीं की गयी थी जिसका विवरण **परिशिष्ट–"घ"** पर दिया गया है। अतः इस सम्बन्ध में तथ्यों सहित वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाये व इसे न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा उक्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

8 **₹0.05 लाख की कम्प्युटर एवं इंटरनेट निधि की राशि छात्रों से प्रात न करना:-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि छात्रों से निम्न विवरणानुसार "कम्प्युटर एवं इंटरनेट" निधि की ₹4,780 प्राप्त नहीं की गयी थी जिसकी संस्था द्वारा चर्चा के दौरान पुष्टि की गयी। अतः इस सम्बन्ध में तथ्यों सहित वास्तविक स्थिति स्पष्ट करते हुये इसे न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा उक्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये:-

वर्ष	छात्रों की संख्या	वार्षिक दर प्रति छात्र (₹)	वसूली योग्य राशि (₹)	प्राप्त राशि (₹)	कम प्राप्ति (₹)
2011-12	130	20	2600	0	2600
2012-	109	20	2180	0	2180

13						
					योग	**4780**

9 ₹0.05 लाख का विवरणिका पर अधिक व्यय:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार महाविघालय विवरणिका (College Prospectus) को आवश्यकता से अधिक मात्रा में छपवाकर ₹4,840 का अनुचित व्यय किया गया। अतः इस अनुचित व्यय बारे तथ्यों सहित वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाये। भविष्य हेतु सुझाव दिया जाता है कि आवश्यकतानुसार ही विवरणिका की छपवाई कारवाई जाये ताकि अनुचित व्यय से बचा जा सके। अनुपालना आगामी अंकेक्षण को दिखाई जाये:-

वर्ष	बिल संख्या/दिनांक	आपूर्तिकर्ता	विवरणिका की संख्या	दर प्रति विवरणिका	राशि	विक्रय की संख्या	शेष बची संख्या	हानि
2012-13	3605/6.6.12	मै० जमवाल प्रिंटर्स, बूथ न० 176, सैक्टर 7-सी० चंडीगढ़	300	20	6000	145	155	3100
2013-14	71/11.6.13	मै० सवितार प्रैस, प्लॉट न० 820, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, चंडीगढ़	200	30	6000	142	58	1740
							योग	**4840**

10 ₹0.04 लाख के बिल/वाउचर सत्यापित न करना:-

चयनित माह 11/2011 में (रोकड़ बही पृष्ठ-6) जांच करने पर पाया गया कि ₹4,462 के निम्न बिल/वाउचर को प्रधानाचार्य/डी०डी०ओ० द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। बिना सत्यापनार्थ/भुगतान आदेशों के राशि का व्यय करना अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। अतः पाई गई अनियमितता बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये व अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये अन्यथा उक्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये:-

बिल संख्या	दिनांक	आपूर्तिकर्ता	मद	राशि (₹)
70	17.9.2011	जालन्धर स्पोर्ट्स, लक्कड़ बाजार, सोलन (हि०प्र०)	5 स्पोर्ट्स किट	1312
29	31.8.2011	-यथोपरि-	12 स्पोर्ट्स किट	3150
			योग	**4462**

11 ₹740 की बस टिकटों का अभिलेख में न पाया जाना:- चयनित माह 11/2011 में (रोकड़ बही पृष्ठ-6) पाया गया कि श्रीमती मीरा चौहान, एसोशिएट प्रोफेसर, शारीरिक शिक्षा को पी०जी० कॉलेज मण्डी में महाविघालय के छात्रों द्वारा दिनांक 21.11.2011 से 23.11.2011 तक "एथलेटिक मीट" में हिस्सा लेने हेतु ₹8,400 की अग्रिम राशि प्रदान की गयी। इस अग्रिम राशि के समायोजन वाउचरो की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 19.11.2011 को पाँच छात्रों की हरिपुरधार से मण्डी के लिये की गई यात्रा हेतु ₹3,230 की राशि का दावा किया गया था परन्तु अभिलेख में केवल ₹2,490 की बस टिकटें ही संलग्न थीं। इस प्रकार शेष ₹740 की बस टिकटें अभिलेख में संलग्न नहीं थी। चर्चा के दौरान अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इन टिकटों बारे उचित छानबीन करके वस्तुस्थिति से अवगत करवा दिया जाएगा। अतः इस सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित की जाये अन्यथा उक्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके व अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

12 पुस्तकालय प्रतिभूति निधि:-

निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, हि०प्र० के पत्र संख्या: ई०डी०एन०एच०(8)बी०(4)28/08-बजट-लिब, दिनांक 26.3.2009 के अनुसार यदि कोई छात्र कॉलेज छोड़ने के दो वर्षों के भीतर पुस्तकालय प्रतिभूति की राशि वापिस लेने हेतु आवेदन नहीं करता तो उसकी पुस्तकालय प्रतिभूति की राशि जब्त कर ली जाएगी तथा जब्त राशि का उपयोग कॉलेज पुस्तकालय के विकास के लिये किया जायेगा। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पुस्तकालय प्रतिभूति निधि में दिनांक 31.3.2016 को ₹31,171 की राशि जमा थी। चर्चा के दौरान अंकेक्षण को सूचित किया गया कि महाविद्यालय द्वारा पुस्तकालय प्रतिभूति रजिस्टर का निर्माण नहीं किया गया है जिसके अभाव में यह पुष्टि न हो सकी कि उक्त निधि में किन-किन छात्रों की राशि जमा थी, वर्षवार जमा राशि की क्या स्थिति थी तथा किन-किन छात्रों की जमा राशि दो वर्षों पश्चात् भी वापिस न होने पर जब्त करने योग्य थी। अतः पुस्तकालय प्रतिभूति रजिस्टर तैयार न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये व भविष्य में उक्त रजिस्टर तुरन्त तैयार करके पुस्तकालय प्रतिभूति की जब्त राशि को उपरोक्त पत्र में दिए गये निर्देशों के अनुसार उपयोग में लाया जाना सुनिश्चित किया जाये। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

13 मिश्रित निधि व खेल निधि को एक ही रोकड़ बही में जमा करना:-

महाविद्यालय द्वारा छात्रों से एकत्रित मिश्रित निधि व खेल-कूद निधि को एक ही रोकड़ बही/कॉलम व बैंक खाते में जमा किया गया था जबकि प्रत्येक छात्र निधि हेतु अलग रोकड़ बही/कॉलम व बैंक खाते का रख रखाव किया जाना अपेक्षित है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसी अमूक तिथि को विभिन्न निधियों में कितनी-2 राशि शेष बची है। अतः पाई गई त्रुटि बारे पूर्ण स्थिति स्पष्ट की जाये। भविष्य हेतु सुझाव दिया जाता है कि अन्य निधियों की तरह उक्त निधियों हेतु भी

अलग रोकड़ बही/कॉलम व बैंक खातों का रख-रखाव किया जाये व अनुपालना तदानुसार अंकेक्षण को दिखाई जाये।

14 विभिन्न निधियों का छात्रों के कल्याणार्थ उपयोग न करना:-

परिशिष्ट-"क" पर संलग्न वित्तीय स्थिति का अवलोकन करने पर पाया गया कि अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान महाविद्यालय द्वारा मिश्रित निधि, परीक्षा निधि इत्यादि को छोड़ कर विभिन्न निधियों से बहुत कम व्यय किया गया था। कुछ निधियों जैसे एन०सी०सी० निधि, पत्रिका निधि, स्टूडेंट ऐड निधि, कैम्पस डेव्लपमेंट निधि, फ़र्निचर रिपेयर निधि इत्यादि से कोई भी राशि व्यय नहीं की गयी थी। इस प्रकार छात्रों के कल्याणार्थ राशियों को व्यय न करने से निधियों की प्राप्ति का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण नहीं होता जो कि सरकारी दिशा-निर्देशों की अवहेलना है। अतः इस सम्बन्ध में तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाये व भविष्य में विभिन्न निधियों का छात्रों के कल्याणार्थ उपयोग सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को भी सूचित किया जाये।

15 पत्रिका निधि का उपयोग न करना:-

पत्रिका निधि (Magazine Fund) में दिनांक 31.3.2016 को ₹34,782 जमा थी। जांच के दौरान पाया गया कि अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान महाविद्यालय द्वारा कोई भी पत्रिका नहीं छपवाई गई थी जिसकी चर्चा के दौरान संस्था द्वारा पुष्टि की गई। अतः उक्त निधि का उपयोग न करना अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। अतः पाई गई अनियमितता बारे तथ्यों सहित वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाये व भविष्य में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

16 अग्रिम रजिस्टर का रख-रखाव न करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मिश्रित निधि से समय-2 पर विभिन्न उद्देश्यों हेतु अग्रिम राशियाँ/ऋण प्रदान किए गए थे। महाविद्यालय द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि दिनांक 31.3.2016 तक सभी अग्रिम/ऋण समायोजित/वसूल कर लिए गए थे तथा कोई भी राशि लम्बित नहीं थी। परन्तु उक्त प्रक्रिया की उचित निगरानी हेतु कोई भी अग्रिम रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में किसी भी वित्तीय चूक से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाये व अग्रिम रजिस्टर का अबिलम्व रख-रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

17 रसीद बुकों बारे:-

महाविद्यालय द्वारा छात्रों से निधियों की प्राप्ति हेतु विभिन्न रसीद बुकों का उपयोग किया गया था। चयनित मासों में पाया गया कि रसीद बुकों का अनुक्रम (Sequence) में उपयोग नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त रसीद बुकों में की गई कटिंग इत्यादि को प्रधानाचार्य/डी०डी०ओ० द्वारा सत्यापित भी नहीं किया गया था

जिससे किसी भी वित्तीय अनियमितता से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त त्रुटियों बारे स्थिति स्पष्ट करते हुये भविष्य में इनकी पुनरावृति न दोहराई जानी सुनिश्चित की जाये। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाये कि उपरोक्त त्रुटियों के दृष्टिगत कोई भी वित्तीय हानि नहीं हुई है। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

18 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गयी है। लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

19 **निष्कर्ष:-** लेखों में अधिक सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(2)सी (15)(xi)(10)144/2009 खण्ड–1–5304–5306, दिनाँक–30.8.2017 शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 उप सचिव (उच्चत्तर शिक्षा) हि0प्र0 शिमला–171002

2 निदेशक, शिक्षा (उच्चत्तर शिक्षा) विभाग हि0प्र0 शिमला–171001

पंजीकृत 3 प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय हरिपुरधार, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881